Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अनवान : देवीलाल बनाम विरेन्द्र कुमार पंवार व अन्य

किस्म मुकदमा : **प्रार्थना–पत्र** अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट सं. **39** सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2020	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी देवीलाल पुत्र लूणाराम ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 18 एल.जी. डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 48/38 के पत्थर नं. 12/295 (6) के किला नं. 15/0.101 है0, 16/0.253 है0, 25/0.253 है0 = 0.607 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि व अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 18 एल. जी.डब्ल्यू.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 36/77 के पत्थर नं. 13/296 (15) के किला नं. 6/2 में 0.121 है0, 13 ता 18/1. 518 है0, 23 ता 25/0.759 है0 = 2.398 है0 नहरी व पत्थर नं. 12/296 (16) के किला नं. 3 ता 25 = 5.819 है0 अनकमाण्ड, कुल 8.217 है0 नहरी–अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में जबरा वल्द अंतरसिंह कौम हरिजन के नाम से पत्थर नं. 13/296 में 20 बीघा व 12/296 में 24.10 बीघा अनकमाण्ड व 0.10 बीघा गै.मु.रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में मुरब्बा नं. 17 में पक्की डामर रोड से होते हुए अप्रार्थी के पत्थर नं. 12/296 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में से होते हुए आवागमन करता आ रहा है व नक्शा में उक्त किलाजात में गै.मु.रास्ता अंकित है, इसके अलावा शेष भूमि जबरा पुत्र अतरसिंह के नाम से आवंटित हुई, लेकिन लिपिकीय त्रुटिवश उक्त गै.मु.रास्ता अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हो गया, इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के नाम की चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. 'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 36/77 के पत्थर नं. 12/296 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025 है0 भूमि गै.मु. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. 'ए' के पत्थर नं. 13/296 के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 व पत्थर नं. 12/296 के किला नं. 1 ता 1, 5, 6, 7 ता 14, 15, 16, 17 ता 24, 25 में गै.मु.रास्ता दर्ज रिकॉर्ड होने व पत्थर नं. 12/296 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में से होते हुए आवागमन के लिए किसी रास्ता के होने के कथनों को अस्वीकार किया व साथ ही कथन किया कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में कोई रास्ता नहीं है व ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी के नाम से दर्ज भूमि पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर क्रय की गई है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकित किये जाने की प्रार्थी को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अपने अतिरिक्त कथनों में निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि को चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' के पत्थर नं. 13/296 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में दर्ज गै.मु. रास्ता से होता हुआ पत्थर नं. 12/395 व 13/295 में स्वीकृतशुदा नहर के किनारे बने रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आता–जाता है, उसे अन्यत्र कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है। जब काश्तकार को एक स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध हो तो वह दूसरे रास्ता की मांग नहीं कर सकता। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना–पत्र पेश किया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट में केवल लिपिकीय त्रुटि का सुधार किया जा सकता है, रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता, इसलिए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार राज ने मौका फर्द, नजरी नक्शा व जमाबन्दी प्रस्तुत कर राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया। जवाब आने के पश्चात् पक्षकारान के अभिभाषकगण के तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रार्थी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2023 ता 26 चक 18 एल. जी.डब्ल्यू. के पत्थर नं. 12/296 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में आवंटी के नाम 18 बिस्वा प्रत्येक का अंकन है। स्पष्टतः 2–2 बिस्वा का रास्ता इस भूमि में हो सकता है। क्रमशः	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म तामील में जारी

साथ ही नक्शा का भी अवलोकन करवाया व जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 44 एवं 2070 ता 73 का अवलोकन करवाया जिसमें पत्थर नं. 12/296 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.253 है0 खातेदारी भूमि अंकित काश्तकार के नाम पूर्ण रूप से अंकित है। इसमें अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2023 ता 26 के आधार पर दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया व प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य होने का तर्क दिया। अपने कथनों के समर्थन में न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.टी. 2015 पेज सं. 10, 451, 961 व आर.आर.टी. 2009–10 सप्लिमेंट पेज सं. 337 प्रस्तुत किये। आर.आर.टी. विद्वान अभिभाषकगण अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि उन्होंने चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 36/77 में अंकित कुल 8.217 है0 भूमि पूर्ण प्रतिफल देकर अंकित काश्तकार से खरीद की है और खरीद के समय से आज तक उक्त भूमि में कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नहीं है और न ही पूर्व में कोई रास्ता होने के कोई साक्ष्य मिले हैं। राजस्व अधिकारियों को धारा 136 एल.आर.एक्ट में दुरूस्ती करने के अधिकार मात्र पक्षकारान के स्वीकृति से ही प्राप्त हैं। यह मामला धारा 136 की परिधि में नहीं आता। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी को चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.'ए' के पत्थर नं. 13/296 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में दर्ज गै.मु.रास्ता में से होते हुए पत्थर नं. 12/295 व 13/295 में नहर के किनारे बने स्वीकृतशुदा रास्ता से वैकेल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है जिससे प्रार्थी आता–जाता है। प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ता की आवश्यकता कतई नहीं है। इस विषय में अप्रार्थी द्वारा न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी. 2018 पेज सं. 592 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार एक रास्ता होते हुए दूसरा रास्ता दिया जाना कतई उचित नहीं बताया गया। इसी आधार पर, चूंकि पक्षकारान की दुरूस्ती हेतु स्वीकृति नहीं है, यह दुरूस्ती का मामला भी नहीं है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी धारा 136 एल.आर.एक्ट की परिधि में न आने एवं अन्यत्र रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषकगण पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत न्याय निर्णयों को पूर्ण एकाग्रचित से व आदरपूर्वक पठन व मनन करने पर पाया कि इस मामले में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी. 2018 पेज सं. 592 पूर्णतया लागू होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयों में मात्र यह अंकित है कि भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा बिना आदेश के किये गये परिवर्तन को दुरूस्त किया जा सकता है, किन्तु वर्तमान में प्रार्थी द्वारा यह कहीं अंकित नहीं किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रास्ते का अंकन हटाया गया। इस विषय में उन्होंने किसी प्रकार का साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है, स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शे से यह स्पष्ट है कि उन्हें अन्यत्र रास्ता उपलब्ध है। इस अवस्था में, जबकि अप्रार्थी को दुरूस्ती से एतराज है, यह मामला धारा 136 एल.आर.एक्ट की परिधि में कतई नहीं आता और अन्यत्र रास्ता उपलब्ध होने से वर्तमान स्तर पर यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने योग्य भी नहीं बनता।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत दिनांक 03.04.2019 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.01.2020

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.28 17:27:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: